न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/122/2024 रजू दिनांकः 17.09.2024 रजि0 न0 2024/219

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री किशनलाल वर्मा, निवासी 69, अम्बेडकर नगर जयपुर–307015, जिला जयपुर (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 22.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 24.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील में वर्णित RTI आवेदन दिनांक 27.07.2024 के माध्यम से पूर्व शिकायत प्रा0 पत्र दिनांक 20.09.2024 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना/प्रति चाही थी के कम में अपील अन्तर्गत प्राप्त नोटिस के अनुक्रम में संबंधित अनुभाग के पत्र सं0 राजस्व/आरटीआई/2024/2830 दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से 04 पृष्ठीय सूचना प्राप्त हुई है, जो नियमानुसार अधिप्रमाणित कर संलग्न प्रेषित है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम अपील आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पत्रांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/1933 दिनांक 17.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचना पंजीकृत–पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)